

कार्यालय राहत आयुक्त मध्यप्रदेश
राजस्व राहत भवन, 220, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक / फा.209 / रा.आ. / बजट / 2017-18/305 भोपाल, दिनांक 6 / 12 / 2017

आबंटन आदेश

प्राकृतिक आपदाओं की समीक्षा एवं राज्य आपदा मोचन निधि तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के संचालन हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में, वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट से, मांग संख्या 58, मुख्यशीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 01-सूखा, 101-अनुग्राहिक राहत, योजना शीर्ष 6422- सूखा फसल क्षति सहायता अनुदान, # 42 सहायक अनुदान 007 अन्य के अन्तर्गत निम्नलिखित जिला कलेक्टरों द्वारा की गई मांग के अनुक्रम में उनके सम्मुख दर्शित राशि का आबंटन सौंपा जाता है :-

क्रमांक	जिला	आबंटित राशि (रु.लाख में)
1	छतरपुर	6878.00
2	भिण्ड	211.00
3	सीधी	1318.00
4	ग्वालियर	228.00
5	टीकमगढ़	7334.00
6	सागर	8116.00
7	दमोह	5655.00
8	श्यापुर	3602.00
9	अशोकनगर	6246.00
10	मुरैना	226.00
11	शिवपुरी	6482.00
	योग	46296.00

(रु.चार सौ बांसठ करोड़ छियान्बे लाख)

- समस्त प्रभावितों को राहत राशि का भुगतान कोर बैंकिंग के माध्यम से किया जावे। प्रकरणों में समस्त प्रभावितों के बैंक खाता नम्बर एवं मोबाईल नम्बर (यदि हो) दर्ज किए जावें। भुगतान की गई राशि की जानकारी निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराई जावे।
- आबंटित राशि का उपयोग आर.बी.सी 6-4 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किया जावे तथा व्यय की गई राशि की जानकारी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्यतः भेजी जावे।

राहत आयुक्त एवं
प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा अनुमोदित


उप राहत आयुक्त
मध्यप्रदेश

कार्यालय राहत आयुक्त मध्यप्रदेश
राजस्व राहत भवन, 220, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक / फा.209 / रा.आ. / बजट / 2017-18 / 366

भोपाल, दिनांक 11 / 01 / 2018

आबंटन आदेश

प्राकृतिक आपदाओं की समीक्षा एवं राज्य आपदा मोचन निधि तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के संचालन हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में, वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट से, मांग संख्या 58, मुख्यशीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 01-सूखा, 101-अनुग्राहिक राहत, 6422- सूखा फसल क्षति सहायता अनुदान, # 42 सहायक अनुदान 007 अन्य के अन्तर्गत निम्नलिखित जिला कलेक्टरों को उनके सम्मुख दर्शित राशि का आबंटन सौंपा जाता है :-


क्र.	जिला	आबंटित राशि (रु.लाख में)
1	श्यापुर	4323.00
2	शिवपुरी	7779.00
3	अशोकनगर	7496.00
4	दतिया	8438.00
5	विदिशा	26386.00
6	सागर	9738.00
7	दमोह	6787.00
8	छतरपुर	8253.00
9	टीकमगढ़	8802.00
10	सीधी	1110.00
11	सतना	7324.00
12	शाजापुर	8716.00
13	उमरिया	791.00
14	शहडोल	1172.00
	योग	107115.00

(रु.एक हजार इकहत्तर करोड़ पन्द्रह लाख)

2. समस्त प्रभावितों को राहत राशि का भुगतान कोर बैंकिंग के माध्यम से किया जावे। प्रकरणों में समस्त प्रभावितों के बैंक खाता नम्बर एवं मोबाईल नम्बर (यदि हो) दर्ज किए जावें। भुगतान की गई राशि की जानकारी निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराई जावे।

3. आबंटित राशि का उपयोग आर.बी.सी.6-4 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किया जावे तथा व्यय की गई राशि की जानकारी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्यतः भेजी जावे।

राहत आयुक्त एवं
प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा अनुमोदित


 (अ.प्र. कटसरिया)
 उप राहत आयुक्त
 एवं उप सचिव
 म.प्र.शासन, राजस्व विभाग